सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 31.07.2017 को व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी. ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरूद्ध रूपये 12,28,320/– व रूपये 13,30,752 दिनांक 23.08.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है । ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नही किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नही किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहतं जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पति को बेंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है– बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलंग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत परिसम्पत्ति श्रीमति दिनेश भाटिया पत्नी अरूण भाटिया की पंचमुखी हनुमान मन्दिर रोड़,घुरपुरा मोहल्ला झालावाड़ स्थित प्लाट न0 4 जिसका क्षेत्रफल 1050 स्क्वायर फीट है,जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व मे प्लाट न0 5,पश्चिम में प्लाट न0 3 उत्तर में रोड़, दक्षिण में नहर की दिवार उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

निर्णय बईजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0 71 /प्रा0पत्र/17

''आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड''(जो पूर्व में''ए.यू. फाईनेन्स(इंडिया)लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर,मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया,जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

.....प्रार्थी

बनाम

01. श्रीमति दिनेश भाटिया पत्नी श्री अरूण भाटिया(ऋणी – बंधककर्ता)
पताः– 171 नियर पंचमुखी हनुमान मन्दिर,तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
द्वितीय पताः–केयर ऑफ मैसर्स जीत स्टोन ट्रेडर्स,पंचमुखी बालाजी रोड़ ओल्ड तांगा अड्डा, झालावाड़
तृतीय पताः– प्लाट न0 4 नियर पंचमुखी हनुमान मन्दिर रोड़,घुडपुरा मोहल्ला, झालावाड़
02. अरूण भाटिया आ0 चरणजीत भाटिया(सह–ऋणी–बंधककर्ता)
पताः– 171 नियर पंचमुखी हनुमान मन्दिर,तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
द्वितीय पताः–केयर ऑफ जीत फोटो स्टूडियो,हरीजन बस्ती,मंगलपुरा,झालावाड़.
तृतीय पताः– प्लाट न0 4 नियर पंचमुखी हनुमान मन्दिर रोड़,घुडपुरा मोहल्ला, झालावाड़
03. रमेशचन्द गुप्ता आ0 बद्रीलाल गुप्ता(जमानती)
पताः– 102 रूणिजा बाजार,तहसील झालरापाटन, झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002

–: निर्णय :– **दिनांकः 18.12.2017**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 07.11.2015 को रूपये 11,50,000/– एवं दिनांक 05.12.2015 को रूपये 12,50,000/–का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्रीमति दिनेश भाटिया पत्नी अरूण भाटिया की पंचमुखी हनुमान मन्दिर रोड़,घुरपुरा मोहल्ला झालावाड़ स्थित प्लाट न0 4 जिसका क्षेत्रफल 1050 स्क्वायर फीट है को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नही चुकाने पर दिनांक 31.07.2017 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2017 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 12,28,320/– व रूपये 13,30,752 दिनांक 23.08.2017 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़